रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D[illegible]

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 1986/वैशाख 6, 1908
No. 154] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 1986/VAISAKHA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1986

का. आ. 212 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 820(अ) तारीख 17 नवबर, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

1	2	3	4	5
"1.	ग्रिसिओफुलविन गोलियां	125 मि. ग्रा./ गोली	10 की स्ट्रिप	4.49"

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3 (ii), तारीख 18-11-83 में भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 820 (अ) तारीख 17-11-1983 द्वारा पृष्ठ 1–2 पर प्रकाशित किया गया था, और उसके पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया ;

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3(ii) पृष्ठ 1–2 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 74(अ) तारीख 28-1-1985 ।

[सं. 9 (10)/82–डी–II]

आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 26th April, 1986

S.O. 212(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-Paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the ersthwhile Ministry of Chemicals and Fertilizers, No. S.O. 820(E), dated the 17th November, 1983, namely :—

In the Table to the said Order, for serial number 1 and the entires relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

TABLE

1	2	3	4	5
"1.	Griseofulvin Tablets	125 mg/Tab.	10's strip	4.49"

NOTE:—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 18-11-1983 at pages 1-2 vide Government notification, erstwhile Ministry of Chemicals and Fertilizers, No. S.O. 820(E) dated 17-11-1983 and was subsequently amended by,

(i) Government notification No. 74(E) dated 28-1-1985 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), at pages 1-2.

[No. 9(10)/82-D. II.]

R.V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy.
&
Development Commissioner (Drugs).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUPLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986